>

Title: Need to include Rajasthan language in the Eighth Schedule to the Consititution of India.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि राजस्थान के करोड़ो लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। हमारे राजस्थान की भाषा राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा और देश के अन्य भागों के साथ-साथ विदेशों में भी पचास मिलियन से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। हाड़ौती, बागड़ी, ढुडाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेरवाड़ी, मालवी, शेखावती अनेक भाषाएं है। यहां संसद में भी माननीय मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले कहा था कि संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किया जायेगा। यह आश्वासन गृहराज्य मंत्री जी द्वारा भोजपुरी और राजस्थानी भाषा के बारे में दिया गया था। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक राजस्थानी भाषा, जिसकी अपनी व्याकरण, जिसका अपना साहित्य, जिसका अपना इतिहास, जिसकी अपनी संस्कृति है, लेकिन उस भाषा को अभी तक संविधान की आठवी अनुसूची से सम्मिलित नहीं किया गया है। इस बारे में राजस्थान विधान सभा द्वारा भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक टालमटोल की जा रही है। ।

अतः आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना है कि करोड़ों लोगों के द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। धन्यवाद।

* राजस्थान में व्यापक तौर पर बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है। इस भाषा की अन्य उप-भाषाएं हैं, जो राजस्थान के विभिन्न भागों में बोली जाती है। किन्तु ये सभी राजस्थानी भाषा के ही हिस्से हैं। इसे पहले डिंगल भाषा भी कहा जाता था। इस भाषा ने कई बड़े-बड़े कवि, साहित्यकार तथा प्रबुद्ध विद्वान दिए हैं। कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण राजस्थानी भाषा में हुआ है। यह भाषा बहुत से विद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, किन्तु दुर्भाग्यवश इस भाषा को वह पहचान प्राप्त नहीं हो पाई जिसकी कि वह अधिकारी है। चूंकि इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अत: इस भाषा के विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में तथा अन्य परीक्षाओं में इस भाषा को नहीं ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य भी इस भाषा को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर नहीं हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब राजस्थान देश का सबसे बड़ा तथा सीमावर्ती महत्वपूर्ण राज्य है। अत: राजस्थान में राजस्थानी बोलने वाले करोड़ों लोगों की यह इच्छा है कि इस समृद्ध भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति द्वारा सत्याग्रह, धरने, प्रदर्शन, विभिन्न आन्दोलनात्मक अभियान भी चलाए गए परन्तु अभी तक भारत सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी है, जिससे राजस्थानी भाषियों में घोर रोष तथा आक्रोश व्याप्त है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शीघ्र सम्मिलित करने हेतु आवश्यक विधेयक सदन में प्रस्तुत कर पारित कराएं तथा करोड़ों राजस्थानियों की भावनाओं का सम्मान कर राजस्थानी भाषा का मान बढ़ाए[BS106]ं। *